

अध्याय 11

शहरी विकास

Urban Development

शुरुआत एक कहानी से

जयपुर की सड़क पर ठेला लगाने वाला एक फेरीवाला — जिसे कभी बैंक कर्ज नहीं मिलता था — आज "PM स्वनिधि 2.0" के तहत ₹50,000 तक का ऋण, डिजिटल भुगतान पर ₹1,200 तक कैशबैक व 9 केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जुड़ाव पाता है। वहीं मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक फैली "जयपुर मेट्रो" उसी शहर को जोड़ती है — यही है राजस्थान के शहरी विकास का बदलता चेहरा।

विज्ञान 2047 के अनुसार राजस्थान 2047 तक किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप व परिवर्तित अनौपचारिक बस्तियों से युक्त जीवंत-समावेशी-सतत शहरी केंद्रों का निर्माण करेगा तथा 5R दृष्टिकोण (Reduce-Reuse-Recycle-Recover-Remove) से शहरी स्वच्छता में अग्रणी रहेगा।

विषय-सूची

- | | |
|---|--|
| 01. विज्ञान व शहरीकरण की प्रवृत्ति — जनसांख्यिकीय प्रबंधन | 05. राजस्थान आवासन मंडल व टाउन प्लानिंग |
| 02. साक्षरता, लिंगानुपात, प्रवास व मलिन बस्तियाँ (Slums) | 06. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 व 2.0 |
| 03. शहरी विकास संस्थाएँ — विकास प्राधिकरण, न्यास, जयपुर मेट्रो | 07. सामाजिक-रोजगार योजनाएँ (PM स्वनिधि, दीनदयाल जन आजीविका आदि) |
| 04. TOD नीति, RERA व टाउनशिप नीति | 08. स्मार्ट सिटीज मिशन, AMRUT 2.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), RUIDP |

New India Education by Omkar Sir

विज्ञान स्टेटमेंट — विकसित राजस्थान 2047

विज्ञान 2047

वर्ष 2047 तक राजस्थान में किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप और आवश्यक सुविधाओं से युक्त परिवर्तित अनौपचारिक बस्तियों द्वारा जीवंत, समावेशी व सतत शहरी केंद्रों का निर्माण होगा।

राज्य 5R दृष्टिकोण — Reduce (कम करें), Reuse (पुनः उपयोग करें), Recycle (रीसाइकिल करें), Recover (पुनर्प्राप्त करें), Remove (निकालें) — के माध्यम से उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर शहरी स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा, अनुकूल अवसंरचना व हरित सार्वजनिक स्थलों पर केंद्रित योजनाओं से शहरी विकास व पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन स्थापित किया जाएगा।



शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं जनसांख्यिकीय प्रबंधन



वैश्विक संदर्भ (UN वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023)

विश्व की आधी से अधिक आबादी वर्तमान में शहरों में निवास कर रही है — यह हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% होने का अनुमान है।

शहर व महानगरीय क्षेत्र वैश्विक GDP में लगभग 80% योगदान देते हैं — व्यापार, शासन व परिवहन के केंद्र के रूप में।

क्षेत्र	1961	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
भारत	17.97%	31.14%	34.43%	37.55%
राजस्थान	16.28%	24.87%	26.33%	27.74%

कुल जनसंख्या 2011	शहरी जनसंख्या 2011	अनुमानित कुल जनसंख्या 2031	अनुमानित शहरी जनसंख्या 2031
685 लाख	170 लाख	872 लाख	242 लाख
पुरुष 355 + महिला 330 लाख	पुरुष 89 + महिला 81 लाख	पुरुष 444 + महिला 428 लाख	पुरुष 126 + महिला 116 लाख

- ▶ 0-6 आयु वर्ग बाल जनसंख्या — 2001 व 2011 में लगभग समान (लगभग 106 लाख); 2011 में 52.95% लड़के व 47.05% लड़कियाँ थीं।



लिंगानुपात (प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाएँ)

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2001	890	930
2011	914	933

- ▶ जनगणना 2011 अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात — टोंक (985), बांसवाड़ा (964), प्रतापगढ़ (963); न्यूनतम — जैसलमेर (807), धौलपुर (864), अलवर (872)।
- ▶ बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) शहरी क्षेत्र में 2001 के 887 से घटकर 2011 में 874 रह गया (ग्रामीण में 914→892) — दोनों क्षेत्रों में गिरावट दर्ज; सर्वाधिक — नागौर (907); न्यूनतम — धौलपुर (841)।



साक्षरता दर

- ▶ राजस्थान की साक्षरता दर 2001 के 60.40% से बढ़कर 2011 में 66.11% हुई; शहरी क्षेत्र में 79.70% जबकि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 61.40% (लगभग 18% का अंतर)।

सर्वाधिक शहरी साक्षरता	दर	न्यूनतम शहरी साक्षरता	दर
1. उदयपुर	87.5%	1. नागौर	70.6%
2. बांसवाड़ा	85.2%	2. जालौर	71.1%
3. प्रतापगढ़	84.8%	3. चुरू	72.6%

शहर, शहरीकरण भिन्नता व प्रवास

- ▶ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े शहर — जयपुर (30.46 लाख), जोधपुर (11.38 लाख), कोटा (10.02 लाख), बीकानेर (6.44 लाख); सबसे कम शहरी जनसंख्या — बांसवाड़ा (1.01 लाख)।
- ▶ सर्वाधिक शहरीकृत जिले — कोटा (60.31%), जयपुर (52.40%), अजमेर (40.08%), जोधपुर (34.30%), बीकानेर (33.86%); न्यूनतम शहरीकृत — जालौर (8.30%), प्रतापगढ़ (8.27%), बांसवाड़ा (7.10%), बाड़मेर (6.98%), डूंगरपुर (6.39%)।

प्रवास (ग्रामीण-शहरी)

राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासित हुए, जिसमें राजस्थान से 32 लाख (कुल का 4%) प्रवासी शामिल।

पुरुष मुख्यतः रोजगार हेतु प्रवास करते हैं — राजस्थान में 49.16% (राष्ट्रीय 45.06%); महिलाएँ मुख्यतः वैवाहिक कारणों से — राजस्थान में 59.11% (राष्ट्रीय 51.80%)।

आवासीय स्थिति व मलिन बस्तियाँ (Slums)

- ▶ राजस्थान में शहरी आवासों में से 68.9% "अच्छी" श्रेणी में (राष्ट्रीय औसत 68.4%), 29.3% "रहने योग्य", केवल 1.8% "जर्जर" श्रेणी में।

मलिन बस्ती जनसंख्या (2011)	सर्वाधिक स्लम आबादी	सर्वाधिक स्लम % (नगर)
20.68 लाख	जयपुर नगर निगम	पीलीबंगा
शहरी जनसंख्या का 12.13%	3.23 लाख (15.64% राज्य स्लम आबादी)	74.53% — इसके बाद जहाजपुर (63.79%)

विवरण (जनगणना 2011)	मान
स्लम परिवार	3,94,391
स्लम जनसंख्या	20,68,000 (पुरुष 10,78,991 + महिला 9,89,009)
बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष)	3,07,035
SC/ST जनसंख्या	SC — 5,82,562; ST — 1,00,675
साक्षरता दर / लिंगानुपात / बाल लिंगानुपात	69.79% / 917 / 897

शहरी विकास संस्थाएँ एवं अवसंरचना विस्तार

शहरी जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताएँ व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरण, शहरी न्यास, राजस्थान आवासन मंडल, नगर नियोजन कार्यालय व जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन किया है।

- ▶ **7 विकास प्राधिकरण** — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर।
- ▶ **12 शहरी न्यास** — अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर, बालोतरा, दौसा-बांड़ीकुई, सवाई माधोपुर।

💰 विकास प्राधिकरण वित्तीय स्थिति (2025-26, दिसं. तक)

विकास प्राधिकरण	कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	कुल व्यय (₹ करोड़)
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA)	2,371.87	1,248.32
जोधपुर विकास प्राधिकरण	521.78	183.21
अजमेर विकास प्राधिकरण	363.02	158.81
कोटा विकास प्राधिकरण	1,059.49	498.18
उदयपुर विकास प्राधिकरण	473.89	212.02
बीकानेर विकास प्राधिकरण	369.01	81.24
भरतपुर विकास प्राधिकरण	82.48	68.72

- ▶ जयपुर विकास प्राधिकरण — रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग, पार्क, सामुदायिक केंद्र व व्यावसायिक-आवासीय योजनाओं के निर्माण हेतु उत्तरदायी।

🚆 जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन — चरणबद्ध विस्तार (कुल निवेश ₹18,000+ करोड़)

चरण	विवरण	लागत/वित्तपोषण
1A (मानसरोवर-चांदपोल)	3 जून 2015 से संचालित	₹2,023 करोड़ — पूर्णतः राज्य सरकार वित्तपोषित
1B (चांदपोल-बड़ी चौपड़)	23 सितंबर 2020 से संचालित; लंबाई 2.01 किमी	₹1,126 करोड़ (ADB ऋण ₹810 करोड़ + शेष राज्य सरकार)
1C (बड़ी चौपड़-ट्रांसपोर्ट नगर)	DPR दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा तैयार	₹1,511.07 करोड़ — RMRC द्वारा क्रियान्वित (मेट्रो नीति 2017 का 50:50 JV मॉडल)
1D (मानसरोवर-200 फीट बायपास, अजमेर रोड)	DPR DMRC द्वारा तैयार, कार्य प्रगति पर	₹222.15 करोड़ — RMRC द्वारा क्रियान्वित
2 (प्रहलादपुरा-टोड़ी मोड़)	M/s राइट्स लिमिटेड यातायात सलाहकार; DPR प्रस्तुत	₹13,532.92 करोड़ — RMRC द्वारा क्रियान्वित

🚶 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति 2025

अधिसूचित — 10 दिसंबर 2025, शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा; उद्देश्य — भूमि-उपयोग व सार्वजनिक परिवहन नियोजन के एकीकरण से सतत-सघन शहरी विकास, यातायात भीड़भाड़-प्रदूषण-शहरी फैलाव कम करना।

TOD क्षेत्र — मेट्रो जैसे जन परिवहन स्टेशनों/कॉरिडोरों के चारों ओर 500-800 मीटर परिधि में चिह्नित-अधिसूचित; पैदल आवागमन, पैदल सुरक्षा, गैर-मोटर चालित परिवहन व अंतिम-छोर संपर्क पर बल।

TOD क्षेत्रों में अवसंरचना क्षमता के अधीन उच्च अनुमेय निर्मित क्षेत्र अनुपात (BAR); वित्तपोषण — अवसंरचना संवर्धन शुल्क व वैल्यू कैप्चर फाइनेंस के माध्यम से।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA)

- ▶ गठन — 6 मार्च 2019 (RERA + रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल); उद्देश्य — आवंटियों, प्रमोटरों व रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा व स्वस्थ-पारदर्शी रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
- ▶ रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट 2016 के सभी प्रावधान 1 जून 2017 से प्रभावी; राजस्थान — RERA लागू करने वाला महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य; वेब पोर्टल — rera.rajasthan.gov.in।

राजस्थान टाउनशिप नीति 2024

अधिसूचित — 17 जुलाई 2025, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा; उद्देश्य — संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता व सतत आर्थिक विकास; बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिप (आवास+अवसंरचना+सामाजिक सुविधा) को बढ़ावा। परिधीय व नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास से मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम; सरल नियोजन नियम व भू-उपयोग लचीलापन से निजी निवेश आकर्षित।

सभी आवासीय योजनाओं में एकरूपता हेतु 7% पार्क-खेल मैदान + 8% सुविधा क्षेत्र अनिवार्य; औद्योगिक योजनाओं में श्रमिक आवास हेतु न्यूनतम 5% क्षेत्रफल भूखंड आरक्षित; EWS/अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकाय द्वारा।

- ▶ राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 — निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्ट, सरकारी विभागों, समाचार-पत्रों व मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों सहित सामाजिक-सार्वजनिक-धर्मार्थ-धार्मिक संस्थाओं को भूमि आवंटन का प्रावधान; राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निपटान) नियम 1974 व राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निपटान) नियम 1974 के अंतर्गत लागू।

राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board)

राजस्थान आवासन मंडल

 **परिभाषा :** स्थापना — 24 फरवरी 1970, एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में; उद्देश्य — राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करना व उनकी पूर्ति हेतु प्रभावी उपाय सुझाना।

 **आसान भाषा में :** यह सरकारी संस्था है जो शहरों में फ्लैट-मकान बनाकर विभिन्न आय-वर्ग (EWS/LIG/MIG/HIG) के लोगों को किफायती दर पर उपलब्ध कराती है।

 **उदाहरण :** जयपुर के प्रताप नगर में "ग्रीनवुड होराइजन" के 336 फ्लैट व मानसरोवर आवासीय योजना में 160 फ्लैट निर्माणाधीन — मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत।

गतिविधि (2025-26)	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसं. तक)
नए मकान आरंभ	4,269	1,557
मकान पूर्ण	3,467	269
मकान आवंटित	3,699	377
मकान हस्तांतरित	5,527	2,212
व्यय (₹ करोड़)	961.63	300
प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	652.94	847.70

- ▶ 2025-26 में मंडल द्वारा 3 पंजीकरण योजनाएँ शुरू — 12 मई 2025 को 5 योजनाओं के तहत 427 मकान/फ्लैट, 20 अगस्त 2025 को 7 योजनाओं के तहत 667 मकान/फ्लैट, दिसंबर 2025 में 3 योजनाओं के तहत 274 मकान/फ्लैट।

- ▶ प्रमुख ज़िलेवार परियोजनाएँ — जयपुर (प्रताप नगर में कई योजनाएँ, मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत EWS/LIG फ्लैट पूर्ण), उदयपुर (पानेरियों की मादड़ी योजना, हिरण मगरी योजना), अजमेर (किशनगढ़), बूंदी (लाखेरी), जोधपुर (बाडली योजना), सिरोही (आबू रोड), भीलवाड़ा (शाहपुरा) — सभी में EWS/LIG/MIG/HIG वर्ग हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर।

टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान व NCR

- ▶ नगर नियोजन विभाग का उद्देश्य — मास्टर प्लान, ज़ोनल/सेक्टर प्लान/योजनाओं के माध्यम से शहरों के भौतिक विकास का मार्गदर्शन; मास्टर प्लान लगभग 20 वर्षों के विकास हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है।
- ▶ राजस्थान की 309 नगरपालिकाओं में से 194 के मास्टर प्लान सरकार द्वारा तैयार व अनुमोदित; चोमू, बगरू व बस्सी क्षेत्र जयपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2025 में नवीन समावेशित; 2023-25 के दौरान 79 नई नगरपालिकाएँ गठित, इनके मास्टर प्लान निर्माणाधीन।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सेल

भरतपुर जिले के रूपवास नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 तैयार; खैरथल-तिजारा जिले के खैरथल नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 अधिसूचित, संशोधित मास्टर प्लान-2047 का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया।

NCRPB, नई दिल्ली के समन्वय से कोटा विकास प्राधिकरण हेतु ₹1,061 करोड़ व भरतपुर विकास प्राधिकरण हेतु ₹470 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

योजना	पात्रता/उद्देश्य	उपलब्धि (दिसंबर 2025 तक)
PMAY-शहरी 1.0 🏆	बेघर व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹3 लाख तक) एवं निम्न आय वर्ग (₹3-6 लाख) हेतु किफायती आवास; घटक — AHP (किफायती आवास भागीदारी), BLC (लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण), CLSS (क्रेडिट लिंकड सब्सिडी)	कुल 2,77,908 मकान स्वीकृत (AHP 27,396 + BLC 1,02,150 + CLSS 1,48,362); 2,38,942 मकान पूर्ण; 32,726 निर्माणाधीन
PMAY-शहरी 2.0	EWS (₹3 लाख तक) व LIG (₹3-6 लाख) परिवारों को वर्ष 2029 तक स्थायी आवास; घटक — BLC व ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)	BLC अंतर्गत 48,619 मकान स्वीकृत + ISS अंतर्गत 6,619 मकान; कुल 55,238 मकान भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु स्वीकृत

सामाजिक-रोजगार योजनाएँ (प्रभावी शहरी शासन)

योजना	प्रारंभ/विवरण	प्रमुख बिंदु
दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)	जून 2025 से जयपुर नगर निगम में पायलट	भवन निर्माण, परिवहन, कूड़ा बीनने, घरेलू कामगार जैसे असुरक्षित व्यावसायिक समूह (VOG) लाभान्वित; घटक — सामुदायिक-नेतृत्व संस्थागत विकास (CLID), वित्तीय समावेशन व उद्यम विकास (FIED), सामाजिक अवसंरचना, अभिसरण; भारत सरकार से ₹3 करोड़ प्राप्त

योजना	प्रारंभ/विवरण	प्रमुख बिंदु
PM स्वनिधि 2.0 🏆	9 सितंबर 2025 पुनर्गठित; वैधता मार्च 2030 तक	उद्देश्य — फेरीवालों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण व 9 केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जुड़ाव; 3 ऋण स्लैब — ₹15,000/₹25,000/₹50,000 पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी; डिजिटल भुगतान पर ₹1,200 तक कैशबैक (₹2,000 से अधिक लेनदेन पर अतिरिक्त ₹400); दिसंबर 2025 तक ₹363.25 करोड़ की 2,67,883 ऋण राशि वितरित
राजीव आवास योजना (RAY)	—	मलिन बस्तियों के बेघर परिवारों को पक्का मकान + पेयजल-सड़क जैसी बुनियादी अवसंरचना; 16 शहरों में 19 परियोजनाएँ (₹903.15 करोड़); कुल स्वीकृत 8,716 डवेलिंग यूनिट में से 7,065 पूर्ण (दिसंबर 2025 तक)
RUDF-II (शहरी विकास कोष)	25 अगस्त 2021 स्थापित	HUDCO/वित्तीय संस्थाओं से ऋण व राज्य सरकार अनुदान हेतु कोष; सभी ULB/विकास प्राधिकरण/न्यास/आवासन मंडल से अंशदान अनिवार्य; 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, गंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर लाइन हेतु ₹472.44 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 🏆	—	18-60 वर्ष सदस्यों को 125 दिन अकुशल श्रम रोजगार; जनाधार ID से निःशुल्क पंजीकरण व जॉब कार्ड; दिसंबर 2025 तक 7.05 लाख परिवार पंजीकृत, 1.79 लाख को 7,010 कार्य आवंटित; व्यय ₹125.72 करोड़, 111.24 लाख मानव-दिवस सृजित; 90%+ लाभार्थी महिलाएँ

🏙️ स्मार्ट सिटीज मिशन

- भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू; लक्ष्य — 100 शहर; प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष ₹100 करोड़ केंद्रीय अनुदान (बराबर राज्य/ULB अंशदान सहित); राजस्थान में 4 शहर चयनित — जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर।

कुल आवंटन	व्यय (दिसं. 2025 तक)	प्रमुख परियोजनाएँ
₹3,910 करोड़ 4 शहरों हेतु	₹3,862.23 करोड़ ~99% उपयोग	जल आपूर्ति, स्मार्ट सड़कें पार्क, ओपन-एयर जिम, पार्किंग

💧 अटल शहरी पुनर्जीवन एवं परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0)

घटक	विवरण
सीवरेज परियोजनाएँ	31 ULB में 43 परियोजनाएँ ₹5,673.71 करोड़ स्वीकृत; दिसंबर 2025 तक ₹2,250.12 करोड़ कार्य निष्पादित — लगभग 24.35 लाख लोग लाभान्वित (4.87 लाख घरों को सीवर कनेक्शन)
जल निकाय पुनरुद्धार व पार्क	131 परियोजनाएँ ₹494.13 करोड़ स्वीकृत; 23 कार्य पूर्ण; ₹141.35 करोड़ व्यय (दिसंबर 2025 तक)
जल आपूर्ति कार्य	178 ULB में ₹5,099.47 करोड़ स्वीकृत; कार्यान्वयन एजेंसी — जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED); भौतिक प्रगति 43%, व्यय ₹2,436.57 करोड़ (दिसंबर 2025 तक)
केंद्रीय सहायता	सीवरेज, जल निकाय पुनरुद्धार व जल आपूर्ति कार्यों हेतु कुल ₹3,552 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

संस्करण	प्रमुख विवरण
SBM (शहरी) 1.0	उद्देश्य — जन-भागीदारी से स्वच्छता संवर्धन; 3.68 लाख व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) + 22,547 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सीट पूर्ण; सभी ULB ODF घोषित व प्रमाणित; कुल व्यय ₹925.95 करोड़ (केंद्र ₹611.34 + राज्य ₹314.61 करोड़)
SBM (शहरी) 2.0	अक्टूबर 2021 से 5 वर्षों हेतु; घटक — IHHL, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, IEC&CB; राज्य हेतु कुल आवंटन ₹1,765.80 करोड़; ₹3,799.20 करोड़ की कार्य योजना राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा अनुमोदित

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)

- ▶ "लक्ष्य अंत्योदय-प्राण अंत्योदय-पथ अंत्योदय" विज़न पर आधारित; वार्षिक व्यय ₹250 करोड़; राज्य के 230 नगरीय निकायों में 992 रसोई संचालित — वार्षिक 9.16 करोड़ थाली भोजन; 79 नई नगरपालिकाओं में भी रसोई शुरू करने की प्रक्रिया जारी — कुल 1,071 रसोई स्वीकृत।
- ▶ शुल्क संरचना — लाभार्थी ₹8/थाली + राज्य सरकार अनुदान ₹22/थाली; दिसंबर 2025 तक कुल 10.92 करोड़ थाली भोजन परोसा गया।

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) व RTIDF

परियोजना	शहर/लागत	प्रगति (दिसंबर 2025 तक)
RUIDP चरण-III	12 शहर (पाली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, टोंक आदि); ₹4,017.56 करोड़	व्यय ₹3,853.42 करोड़; लगभग 18 लाख जनसंख्या लाभान्वित; अधिकांश कार्य पूर्ण
RUIDP चरण-IV ट्रेच-I	14 शहर (सिरोही, आबू रोड, बांसवाड़ा आदि) + 12 शहरों में FSSM (₹45.65 करोड़); ₹3,076.63 करोड़	व्यय ₹2,342.66 करोड़
RUIDP चरण-IV ट्रेच-II	ADB ऋण से 16 शहर; लगभग ₹2,450 करोड़	व्यय ₹1,081.27 करोड़; 2027-28 तक पूर्ण होने की संभावना; ~49 लाख जनसंख्या लाभान्वित
राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि (RTIDF)	स्थापना 2011-12; अब तक कुल संग्रह ₹8,974.60 करोड़	व्यय ₹6,272.04 करोड़; ROB/RUB — 9 निर्माणाधीन (₹314.81 करोड़); 10 वर्षों में 56 स्वीकृत, 47 पूर्ण

📌 अध्याय 11 — मुख्य परीक्षा दृष्टि से

शहरीकरण दर — राजस्थान 1961 में 16.28% से 2011 में 24.87% (भारत 17.97%→31.14%); 2031 तक राजस्थान 27.74% अनुमानित — दोनों के आँकड़े न मिलाएँ।

शहरी लिंगानुपात (914, 2011) ग्रामीण (933) से कम है — सामान्यतः विपरीत समझी जाने वाली यह बात याद रखें; बाल लिंगानुपात दोनों क्षेत्रों में घटा है।

राजस्थान में 7 विकास प्राधिकरण व 12 शहरी न्यास — सूची याद रखें; जयपुर मेट्रो चरण 1A-1D व चरण-2 के वित्तपोषण मॉडल (राज्य/ADB/RMRC 50:50 JV) में अंतर स्पष्ट रखें।

TOD नीति 2025 (10 दिसंबर 2025) व टाउनशिप नीति 2024 (अधिसूचित 17 जुलाई 2025) — दोनों की तिथियों व उद्देश्यों में भ्रम न करें।

PM स्वनिधि 2.0 के 3 ऋण स्लैब (₹15,000/25,000/50,000) व स्मार्ट सिटीज मिशन के 4 चयनित शहर (जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर) याद रखें।

